न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

वाद सं. 98/2013 निर्णय दिनांक 10-05-16

पीठासीन अधिकारी : श्री सुरेश चौधरी
(आर.ए.एस.)

बिरदाराम पुत्र बोदूराम उर्फ बोदया जाति मीणा
निवासी - ग्राम सांगावाला तह- आमेर जिला - जयपुर
— वादी

बनाम

1. बिरदाराम पुत्र भौरिया जाति मीणा निवासी-ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर
2. तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर
3. उप-पंजीयक आमेर जिला - जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा - दुरुस्ती वल्दियत व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित - अधिवक्ता वादी श्री उमेश पारीक

आदेश

वादी ने प्रस्तुत वाद बाबत दुरुस्ती वल्दियत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम-जैतपुरा तह. आमेर जिला-जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 48 रकबा 1.42 है० का वादी रिकार्ड खातेदार व काबिज काश्तकार है। वादी का कथन है कि सम्वत 2008 लगायत 2027 की खतौनी बन्दोबस्त में उक्त आराजी भूमि के गत ख.नं. 06 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा व ख.नं. 07 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा पर वादी की वल्दियत "मोरत्या" दर्ज कर दी गई (जबकि मोरत्या वादी के दादा का नाम था। वादी के पिता का नाम बोदूराम (बोदया) था)। इसके पश्चात सम्वत 2020 में हुए एकीकरण में भूमि ख.नं. 6 व 7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

बिरदाराम पुत्र बिरदाराम
मु. नं. 98/13

का नवीन खसरा नम्बर 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा बनाया गया। जिसकी खातेदारी में वादी की वल्दियत पूर्व अंकित मोटाया के स्थान पर "मोरखा" अंकित कर दी गई। इसके पश्चात हुए हाल एकीकरण बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा से नवीन (हाल) खसरा नं. 48 रकबा 1.42 है० बनाया गया है। जिसमें वादी की वल्दियत मोरखा के स्थान पर मौरिया दर्ज कर दी गई है। जिसके दुरूस्तीकरण हेतु प्रस्तुतवाद पेश किया गया है।

वादी के कथनानुसार वादी की वल्दियत वास्तव में बोदूया उर्फ बोदूराम है। पूर्व खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008 ल. 2027 में वादी की वल्दियत के स्थान पर पिता के बजाय दादा का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसे बाद में हुए एकीकरण में अपभ्रंश कर "मोरखा" तथा हाल बन्दोबस्त में मोरखा का अपभ्रंश कर "मौरिया" दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरस्त करवाने का वादी अधिकारी है। वादी ने आगे कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 01 का नाम बिरदा पुत्र मौरिया है। उक्त बिरदा पुत्र मौरिया ने साजिशपूर्वक वादी की वल्दियत मोरखा का अपभ्रंश करा कर मौरिया (जोकि प्रतिवादी के पिता का नाम है) दर्ज करवा लिया है तथा इस गलत अंकन के आधार पर उक्त विवादित भूमि को बेचने पर आमादा है।
वादी ने निवेदन किया है कि दावा बहक वादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 48 रकबा 1.42 है० वाके ग्राम जैतपुरा खींची तह. आमेर जिला-जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार बिरदा पुत्र मौरिया को निरस्त फरमाते हुए बिरदाराम पुत्र बोदूराम उर्फ बोदया दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे तथा प्रतिवादी सं. एक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

किरदारामपुत्र पिरदाराम
मु. नं. 98/13

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2058-61 की प्रति, खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध सम्वत् 2008-2027 की सत्यापित प्रति, खतौनी भूमि एकीकरण सम्वत् 2020 की सत्यप्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012-15, 2016-2019, 2027-30 व 2031-34 की सत्यापित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति व तहसीलदार मौका रिपोर्ट दि. 26-11-05 व 18-10-06 की सत्यप्रतिलिपी तथा साक्ष्य शपथ पत्र महादेव पुत्र मांगू अहीर, नाथू पुत्र रघुनाथ कुम्हार, मोहनसिंह पुत्र गोपाल सिंह, कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाराम रैगर व रामपाल पुत्र मांगू मीणा के प्रस्तुत किए।

वाद पत्र के जवाब में प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का खंडन करते हुए कथन किया गया है कि वादी ख. नं. 48 रकबा 1.52 है. का कभी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार नहीं रहा और ना ही ख. नं. 48 को कभी काश्त किया। प्रतिवादी का कथन है कि विवादित आराजी प्रारम्भ से ही प्रतिवादी किरधा के नाम चली आ रही है और प्रतिवादी किरधा ही आराजी ख. नं. 6 का खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि कभी भी वादी के मिला कोदिया के नाम दर्ज नहीं हुई। वादी का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कभी कब्जा रहा है ना उसने कभी काश्त की, ना ही उसके खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार वादी भूमि वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार नहीं है। जिससे वह किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

वाद के लम्बित रहते दौराने प्रक्रिया साक्ष्यवादी जिरह प्रतिवादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

P.T.O.

बिरदाराम पुत्र बिरदाराम
मु. नं. ९४/13

हमने वकील वादी की बहस सुनी। तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाह के बयानात के मद्देनजर एवं तहसीलदार मौका रिपोर्ट के आधार पर ग्राम-जैतपुर खींची ग्रा.पं. छापराडी तह. आमेर जिला-जयपुर विवादित भूमि आ.ख.नं. 48 रकबा 1.42 है. के खातेदार बिरधा की बल्दियत भोरिया के स्थान बोदूराम (बोदया) जाति मीणा दर्ज/अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम जैतपुर खींची तह-आमेर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 48 रकबा 1.42 है. का बिरदा पुत्र बोदूराम उर्फ बोदया मीणा को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में अंकित बिरदा की वल्दियत भोरिया के स्थान पर बोदूराम उर्फ बोदया मीणा अंकित/दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करें।

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर फास्ट ट्रेक, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या 98/2013/ दावा

बिरदाराम पुत्र बोदूराम उर्फ बोदया जाति मीणा निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

———वादी

बनाम

1. बिरदाराम पुत्र भौरिया जाति मीणा निवासी सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर जिला जयपुर
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तहसील आमेर जिला जयपुर

———प्रतिवादीगण

दावा दुरुस्ती वाल्दियत व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :— 10.05.2016

ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर स्थित विवादित भूमि ख0नं0 48 रकबा 1.42 है0 का बिरदा पुत्र बोदूराम उर्फ बोदया मीणा को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में अंकित बिरदा की वल्दियत भोरिया के स्थान पर बोदूराम उर्फ बोदया मीणा अंकित करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.05.2016 को जारी किया ।

दस्तखत—

ओहदा—

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		